न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 69 / 2022 **GCMS 2022/133**

वादी

1. राजुराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी प्रेमराजजी का बासड़ा, आसपुरा, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. उगमी पत्नी उदाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम
3. कुनणाराम पुत्र उदाराम
4. गोपीराम पुत्र उदाराम
5. पेफाराम पुत्र उदाराम
6. परताराम पुत्र उदाराम
7. कमला पत्नी भागीरथराम
8. कानाराम पुत्र भागीरथराम
9. चांददेवी पुत्री भागीरथराम
10. नेमाराम पुत्र भागीरथराम
11. बंशीलाल पुत्र भागीरथराम
12. बोदूराम पुत्र भागीरथराम
13. सन्तोषदेवी पुत्री भागीरथराम
14. कमलादेवी पुत्री धन्नाराम
15. चुकादेवी पुत्री धन्नाराम
16. मांगीदेवी पुत्री धन्नाराम
17. रामलीदेवी पुत्री धन्नाराम
18. किशनीदेवी पत्नी रामुराम
19. फुलीदेवी पुत्री रामुराम
20. मदनलाल पुत्र रामुराम
21. सोहनलाल पुत्र रामुराम
22. बेलादेवी पुत्री रामुराम
23. गोमाराम पुत्र चतराराम
24. दुलाराम पुत्र चतराराम
25. नाथुराम पुत्र चतराराम
26. बालुराम पुत्र चतराराम
27. श्रीकिशन पुत्र चतराराम
28. सुंडाराम पुत्र चतराराम
29. सुल्तान पुत्र चतराराम
30. पुखराज पुत्र गुलाबराम
31. प्रेम पुत्री गुलाबराम
32. मुकेश पुत्र गुलाबराम
33. मुन्नी पुत्री गुलाबराम
34. सीताराम पुत्र गुलाबराम जाति कुमावत निवासीयान प्रेमराज जी का बासड़ा कुचामनसिटी
35. गणेशराम पुत्र जीवणराम

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

36. छोटूराम पुत्र जीवणराम
37. जयकिशन पुत्र जीवणराम
38. प्रियंका पुत्री गिरधारीलाल
39. बलवीर पुत्र गिरधारीलाल
40. बाबुलाल पुत्र गिरधारीलाल
41. हणमानी पत्नी गिरधारीलाल
42. बजरंगलाल पुत्र मोतीराम
43. लाडादेवी पत्नी मोतीराम
44. हेमाराम पुत्र नारायण जाति सभी कुमावत निवासीयान जोड़पुरा तहसील कुचामनसिटी
45. रामेश्वर पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा :– बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त. अधि.1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 31-10-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 12.10.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2022/2598 दिंनाक 21.10.2022 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 20.10.2022 को तैयार फर्द मौका जांच रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम जोड़पुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 370 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 371 रकबा 9.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 3.1200 हैक्टर कुल रकबा 12.4900 हैक्टर के मौके पर बहमराह वादी पुत्र लिछमणराम कुमावत व अन्य मौजिज व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा खसरा नम्बर 370, 371, 372 का नजरी नक्शा तैयार किया गया, मौके पर उपस्थित वादी व मौजिज व्यक्तियो, पड़ौसियान से राजूराम के कब्जे की भूमि के संबंध में जानकारी ली गई तो उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू **A+B** कुल रकबा 2.051 हैक्टर भूमि पर राजूराम पुत्र लिछमणराम का कब्जा है तथा मार्क बिन्दू **B** में वादी राजूराम का **x** स्थान पर मकानात बना हुआ है जिसमें निवास कर रहा है तथा नजरी नक्शें में दर्शायें नये मार्क **C** की भूमि रकबा 0.18 हैक्टर वादी व शेष सभी खातेदारों के संयुक्त रूप से रास्ते के रूप में काम आ रही है तथा नजरी नक्शे में दर्शाये नये बिन्दू **D** रकबा 6.7890 हैक्टर खसरा नम्बर 370 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 3.12 हैक्टर कुल रकबा 10.2590 हैक्टर भूमि पर शेष सभी खातेदारान की संयुक्त खातेदारी है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जोड़पुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 370 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 371 रकबा 9.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

3.1200 हैक्टर कुल रकबा 12.4900 हैक्टर में वादी को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 20.10.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा में से वादी का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 31/10/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 69/2022 **GCMS 2022/133**

वादीगण

1. राजुराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी प्रेमराजजी का बासड़ा, आसपुरा, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. उगमी पत्नी उदाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम
3. कुनणाराम पुत्र उदाराम
4. गोपीराम पुत्र उदाराम
5. पेफाराम पुत्र उदाराम
6. परताराम पुत्र उदाराम
7. कमला पत्नी भागीरथराम
8. कानाराम पुत्र भागीरथराम
9. चांददेवी पुत्री भागीरथराम
10. नेमाराम पुत्र भागीरथराम
11. बंशीलाल पुत्र भागीरथराम
12. बोदूराम पुत्र भागीरथराम
13. सन्तोषदेवी पुत्री भागीरथराम
14. कमलादेवी पुत्री धन्नाराम
15. चुकादेवी पुत्री धन्नाराम
16. मांगीदेवी पुत्री धन्नाराम
17. रामलीदेवी पुत्री धन्नाराम
18. किशनीदेवी पत्नी रामुराम
19. फुलीदेवी पुत्री रामुराम
20. मदनलाल पुत्र रामुराम
21. सोहनलाल पुत्र रामुराम
22. बेलादेवी पुत्री रामुराम
23. गोमाराम पुत्र चतराराम
24. दुलाराम पुत्र चतराराम
25. नाथुराम पुत्र चतराराम
26. बालुराम पुत्र चतराराम
27. श्रीकिशन पुत्र चतराराम
28. सुंडाराम पुत्र चतराराम
29. सुल्तान पुत्र चतराराम
30. पुखराज पुत्र गुलाबराम
31. प्रेम पुत्री गुलाबराम
32. मुकेश पुत्र गुलाबराम
33. मुन्नी पुत्री गुलाबराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

34. सीताराम पुत्र गुलाबराम जाति कुमावत निवासीयान प्रेमराज जी का बासड़ा कुचामनसिटी
35. गणेशराम पुत्र जीवणराम
36. छोटूराम पुत्र जीवणराम
37. जयकिशन पुत्र जीवणराम
38. प्रियंका पुत्री गिरधारीलाल
39. बलवीर पुत्र गिरधारीलाल
40. बाबुलाल पुत्र गिरधारीलाल
41. हणमानी पत्नी गिरधारीलाल
42. बजरंगलाल पुत्र मोतीराम
43. लाडादेवी पत्नी मोतीराम
44. हेमाराम पुत्र नारायण जाति सभी कुमावत निवासीयान जोड़पुरा तहसील कुचामनसिटी
45. रामेश्वर पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
46. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज. (लैण्ड होल्डर)

दावा :– बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त. अधि.1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम जोड़पुरा पटवार मण्डल जिलिया के खसरा नम्बर 370 रकबा 0.3500 हैक्टर, खसरा नम्बर 371 रकबा 9.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 3.1200 हैक्टर कुल रकबा 12.4900 हैक्टर में वादी को तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम (विभाजन प्रस्ताव दिनॉक 20.10.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खसरा एवं रकबा में से वादी का नाम हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 ....माह 10 .... सन् 2022 .... को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2022/ 301 दिनॉकः– 02/11/2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 69/2022 **GCMS 2022/133** राजूराम बनाम उगमी देवी वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 69/2022 **GCMS 2022/133** राजूराम बनाम उगमी देवी में पारित डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 2598 दिनांक :– 21-10-2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 69 / 2022 राजूराम बनाम उगमी देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 283 दिनांक 12.10.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 69 / 20222 राजूराम बनाम उगमी देवी वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. जिलिया व पटवारी हल्का जिलिया के द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

2/3/68
31/10

फर्द मौका जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 20.10.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/भू.अ/PD/55 दिनांक 13.10.2022 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/283 दिनांक 12.10.2022 की पालना में SDM कोर्ट कुचामनसिटी के राजस्व प्रकरण संख्या वाद सं. 69/2022 CMS 2022/133 राजूराम बनाम् उगमी देवी वगैरह में पारित प्रारम्भिक डिक्री आदेश की पालना में ग्राम जोडपुरा के ख.न. 370, 371, 372 कुल किता 3 कुल रकबा 12.59 है० के मौके पर बहमराह वादी राजूराम पुत्र लिछमणराम कुमावत व अन्य मौजिज व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचे। ख.नं. 370, 371, 372 का नजरी नक्शा निम्न प्रकार है:-

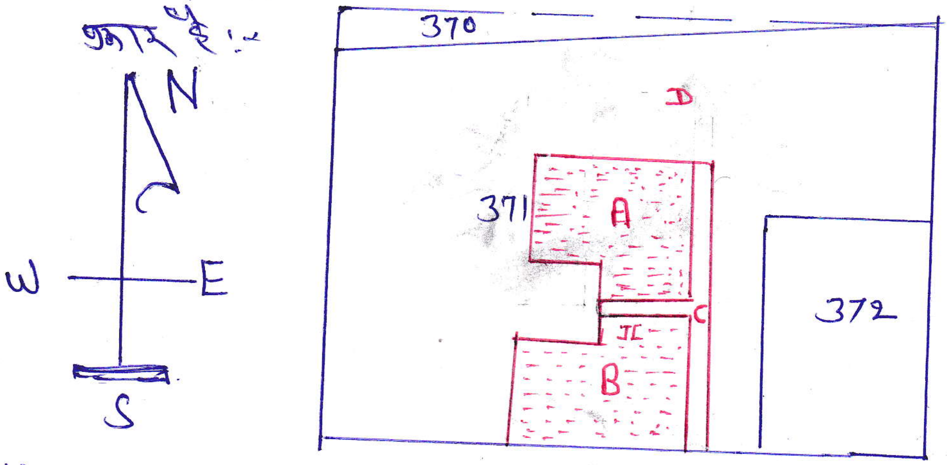

मौके पर उपस्थित वादी व मौजिज व्यक्ति, पड़ोसियान से राजूराम के कब्जे की भूमि के संबंध में जानकारी ली गई तो उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क बिन्दु A+B कुल रकबा 2.051 हेक्टेयर भूमि पर राजूराम पुत्र लिछमणराम का कब्जा है। तथा मार्क बिन्दु B में वादी राजूराम का X स्थानात पर मकानात बना हुआ है। जिसमें निवास कर रहा है। तथा नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क बिन्दु ~~बिन्दु~~ C की भूमि रकबा 0.18 है० वादी व शेष सभी खातेदारों के संयुक्त रूप से रास्ते के रूप में काम आ रही है। तथा नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु D रकबा 6.789 है० ख.नं. 370 रकबा 0.35 हे. ख.नं. 372 रकबा 3.12 हे. कुल रकबा 10.259 है० भूमि पर शेष सभी खातेदारान की संयुक्त खातेदारी है। मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित मौतबिरान को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुनकर, समझ कर सही मानकर अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर किये गये।

राजूराम
(राजूराम S/o लिछमणराम) गिलीमा
आ.नं. 7735-3985-0303 20/10/22

20/10/2022
ILR जिलिया

नि. अ. भैरूराम S/o मोतीराम कुमावत सा. प्रेमराजकी ढाणी
आ.नं. 9762-1057-7612

20.10.22
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामनसिटी

(राजेन्द्र S/o नेतराम कुमावत सा. प्रेमराजकी ढाणी)
आ.नं. 6752-2486-8062

भंवरलाल
(भंवरलाल S/o लिछमणराम कुमावत सा. कुचामनसिटी)

21.10.22